UPEW010021962025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट इटावा।

परिवाद/सत्र वाद संख्या–473/2025

जगजीवनराम बनाम योगेश शाक्य आदि।

09.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का सम्यक परिशीलन किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में मुकदमा पंजीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 को क्षेत्राधिकारी, भरथना को प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की विस्तृत जांच करके आख्या प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था। तदोपरान्त न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2024 को आदेश पारित करते हुये यह उल्लिखित किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में सुनवायी किये जाने योग्य है किन्तु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के परन्तुक के अनुसार किसी भी वाद का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवायी का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्ततु करने हेतु नोटिस जारी किये गये। उपरोक्त के क्रम में विपक्षीगण द्वारा अपनी आपत्ति 14 ख/1 लगायत 14 ख/3 प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2025 को प्रक्रण को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया।

संक्षेप में परिवादी का कथन इस प्रकार है कि वादी अनुसूचित जाति में जाटव जाति का सदस्य है। विपक्षीगण योगेश शाक्य व रिजवान आये दिन वादी को हैरान परेशान करते रहते हैं। एक साल पहले जनवरी सन् 2003 में भी घर के छप्पर में आग लगा दी थी, उसके बाद घर में पत्थर फेंके गये थे तथा काँच की बोतले फोड़ी गयी थी। जिसकी एक शिकायत चौकी भरतिया पर दी गयी थी। जिसका राजीनामा विपक्षीगण योगेश शाक्य व रिजवान के साथ हुआ था। भविष्य में किसी प्रकार की कोई वारदात आवेदक व उसके परिवार के साथ नहीं की जायेगी, लेकिन उसके बाद भी शातिर विपक्षीगण दिनांक 29.02.2024 समय करीब 10:00 बजे शाम घर में बरामदा में 25 लाह के गट्ठे रखे थे, जिनको विपक्षीगणों ने आग लगा दी, तथा उसको जाति सूचक

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.03.09 18:40:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गालियाँ(चमरा) दी और जान से मारने की धमकी दी कि वह अपना घर–बार छोड़कर भाग जाये। दिनांक 01.03.2024 को प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर दिनांक 12.03.2024 को जरिये रजिस्ट्री एस०एस०पी० इटावा एवं दिनांक 11.03.2024 को ऑन लाइन प्रार्थनापत्र एस०एस०पी० इटावा व मुख्यमंत्री उ०प्र०शासन लखनऊ को दिया परन्तु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

परिवादी ने धारा 200 दं. प्र. सं. के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सी.डब्लू.1 के रूप में सरला देवी को परीक्षित कराया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवादपत्र में घटना दिनांक 29.02.2024 समय रात्रि करीब 10 बजे शाम घटित हुयी। विपक्षीगण द्वारा घटना घटित करना कहा है तथा यह अंकित किया है कि विपक्षीगण ने बरामदे में रखे 25 लाह के गट्ठों में आग लगा दी और परिवादी को जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी।

परिवादी द्वारा धारा 200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि घटना एक जनवरी की थी। घटना के बाद दिनांक 29.10.2024 में योगेश व रिजवान ने लाह के गट्ठों में आग लगा दी। परिवादी ने आग लगाते हुये देखा था। लाह के गट्ठे बरामदे में रखे हुये थे। परिवादी द्वारा यह भी कथन किया है कि जब उसकी आंख खुली तो आग लग चुकी थी। घटना को सिर्फ उसने देखा था। उसके अलावा किसी और ने नहीं देखा था। विपक्षीगण ने कोई धमकी नहीं दी थी।

धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सरला देवी पत्नी जगजीवनराम को परीक्षित कराया गया है। साक्षी सरला देवी द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि दिनांक 29.02.2024 में रात्रि करीब 10 बजे अपने घर पर स्कूल से सम्बन्धित कार्य फोन से कर रही थी। दिनांक 29.02.2024 को घर अन्दर से बंद था। घर पर उसके अलावा परिवादी जगजीवनराम, अनीता, प्रताप सिंह, असबी, अंजना एवं बृजभूषण मौजूद थे। योगेश व रिजवान ने लाह(सरसों) के गट्ठों में आग लगा दी। जिस जगह आग लगी थी वह उस जगह के बगल में बैठी हुयी थी। जब विपक्षीगण आग लगाकर भाग रहे थे, उसने उन्हें पीछे से देखा था। इसके अलावा विपक्षीगण को किसी और ने नहीं देखा था और उसके पति ने भी नहीं देखा था क्योंकि इसके पति पड़ोस में पानी की पाइप लेने चले गये थे। जब उसने देखा था तब आग काफी लग चुकी थी। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर स्पष्ट कथन किया है कि घटना कारित होते हुये और विपक्षीगण को भागते हुये केवल उसने देखा था।

यदि साक्षीगण के बयानों को दृष्टिगत रखा जाये तो स्पष्ट होता है कि साक्षीगण के बयानों में घटना के सम्बन्ध में एकरूपता एवं समानता नहीं है। परिवादी द्वारा

अपने बयान में स्वयं को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना अभिकथित किया है जबकि साक्षी सरला देवी जो कि परिवादी की पत्नी है, ने यह कथन किया है कि इसके अलावा विपक्षीगण को किसी और ने नहीं देखा था। उसके पति ने भी नहीं देखा था क्योंकि उसके पति पड़ोस में पानी की पाइप लेने चले गये थे। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि परिवादपत्र में अंकित कथन एवं परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में भी महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। परिवादी द्वारा अपने बयान में विपक्षीगण द्वारा लाह के गट्ठों में आग लगने की दिनांक 29.10.2024 बतायी है जबकि परिवादपत्र में कथित घटना दिनांक 29.02.2024 की होना अंकित कहा है। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि साक्षी सी.डब्लू.1 जो कि परिवादी की पत्नी है, ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 29.02.2024 में रात्रि के करीब 10 बजे वह अपने घर पर स्कूल से सम्बन्धित कार्य फोन से कर रही थी। घर अन्दर से बन्द था। जिस जगह पर आग लगी थी उस जगह के बगल में बैठी हुयी थी। इस साक्षी के बयान में भी महत्वपूर्ण विरोधाभाष स्पष्ट होता है।

यदि घटना की दिनांक पर घर अन्दर से बन्द था और परिवार के किसी सदस्य द्वारा घर का दरबाजा नहीं खोला था तो अवश्य ही विपक्षीगण दीबार कूदकर/फांदकर परिवादी के घर में घुसे होगें। यदि सरला देवी घटनास्थल के पास ही बैठी थी तो उसके द्वारा विपक्षीगण को घर के अन्दर आते हुये क्यों नहीं देखा गया। इसका कोई स्पष्टीकरण साक्षी द्वारा अपने बयान में नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि उसने विपक्षीगण को आग लगाकर भागते हुये पीछे से देखा था। यह बहुत हास्यास्पद व अविश्वनीय प्रतीत होता है कि वह घटनास्थल के पास ही मौजूद थी, परन्तु इसके द्वारा विपक्षीगण को घर के अन्दर घुसते हुये नहीं देखा गया और जब आग काफी लग गयी थी तब उसने विपक्षीगण को पीछे से देखा था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी के अनुसार घटना की केवल वही चक्षुदर्शी साक्षी थी। जबकि परिवादी के अनुसार घटना का एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी स्वयं परिवादी था।

परिवादी द्वारा परिवादपत्र में अंकित कथित घटना की दिनांक तथा न्यायालय के समक्ष अंकित बयान अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. की कथित घटना की दिनांक भी अलग–अलग बतायी है।

तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये परिवादी द्वारा अभिकथित कथानक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त परिवादी एवं उसकी ओर से प्रस्तुत साक्षी के बयानों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीगण द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध कारित किया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन, समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रथम दृष्टया विपक्षीगण को तलब कर कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार

प्रस्तुत परिवाद धारा–203 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा–203 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(संजय कुमार–IV)

यू0 पी0 6462

विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट,

इटावा।

09.03.2026